

प्रपत्र 3

(बैंक/बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिये)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन - 2022

विभाग का नाम : _____

कार्यालय कोड : _____

कार्यालय का नाम: _____

कार्यालय का पता: _____

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कार्यस्थल का पता	मोबाइल	लिंग (पुरुष/ महिला)	कर्मचारी का प्रकार (P - स्थाई, T - अस्थाई, C - संविदा)	स्केल (I, II, III , IV,V,VI,VII, CS, SS) *CS-Clerical Staff *Subordinate Services (Peon Etc.)	पे स्केल	मूल वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में कार्यरत है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा वह वर्तमान में निवास करता है	विधान सभा क्षेत्र का नाम जंहा का मूल निवासी हैं	गृह जनपद का नाम	सेवानिवृत्ति का दिनांक (31.5.2022 तक) (हां / नहीं)	क्या सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी (03 वर्ष से अधिक) समय से जनपद में कार्यरत है ? (हां / नहीं)	अभियुक्ति (गर्भवती महिला ,दिव्यांक ,बी० एल० ओ० ,गम्भीर रूप से बीमार ,□ वश्यक सेवा ,ड्राइवर, स्वीपर , बैंक गार्ड □ दि)
11	12	13	14	15	16	17

अधिकारी / कर्मचारी के निर्वाचन नामावली (EPIC) पंजीकरण से सम्बंधित विवरण						अधिकारी / कर्मचारी के बैंक अकाउंट का विवरण			
EPIC (वोटर कार्ड) नंबर	विधान सभा क्षेत्र संख्या	विधान सभा क्षेत्र का नाम	बूथ संख्या	मतदाता क्रमांक	यदि EPIC वर्तमान तैनाती जनपद से निर्गत (नहीं / हां)	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	IFSC कोड
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रपत्र -3 भरने हेतु दिशा निर्देश

प्रपत्र -3 राज्य स्तरीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कम्पनी द्वारा भरा जायेगा। प्रपत्र-3 के कुल 27 कालम हैं। सभी प्रविष्टियाँ हिंदी युनिकोड में आनलाइन पोर्टल पर करनी होगी। कालमों में सूचनायें किस प्रकार भरी जाये इसके लिए दिशा निर्देश निम्न प्रकार है। विभाग के नाम में कार्यालय जिस विभाग के अन्तर्गत आता है उस विभाग का नाम भरा जायेगा। कार्यालय कोड (जोकि आपको भेजे गये पत्र में दर्शाया गया है) एवं कार्यालय का पूरा नाम भरा जायेगा। कार्यालय का पता - कार्यालय का पूरा पता भरें।

कालम	दिशा निर्देश
1	क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करें। क्रम संख्या 1 पर कार्यालयाध्यक्ष का नाम जोकि प्रपत्र में 1 भरा गया है भरा जायेगा। क्रम संख्या 2 पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम जोकि प्रपत्र 1 में भरा गया है भरा जायेगा। इसके बाद शेष अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रविष्टी क्रम संख्या 3 से की जायेगी।
2	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम (केवल सफाई कर्मियों के लिए इनके नाम के साथ कोष्टक में उनकी आई.डी भरें जिससे कि ड्यूटी वितरित करते समय कोई समस्या न हो) जैसे रामप्रकाश (3425)
3	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा पद नाम भरें। अवर अभियन्ता, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक आदि
4	विभागों में अधिकारी/कर्मचारी मूल कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर तैनात है तो उसका विवरण भरें।
5	अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल नम्बर भरें। निर्वाचन की समाप्ति तक इस नम्बर को न बदला जाये। यदि बदला जाता है तो इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी कार्मिक को देनी होगी।
6,7	लिंग (पुरुष अथवा महिला भरें) अधिकारी/कर्मचारी स्थाई, अस्थाई या फिर संविदा पर है उल्लेख करें।(P/T/C)
8	राज्य स्तरीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी के अधिकारी /कर्मचारी किस श्रेणी में आते है उल्लेख करना है। Scale - I, II, III, IV,V,VI,VII, CC, SS CS- Clerical Staff SS- Subordinate Services (Peon etc)
9,10	Pay Scale, Basic Pay
11,12,13,14	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निवास करता है भरना होगा। अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र का मूल निवासी है भरना होगा। यदि जनपद के बाहर का है तो अन्य लिखना होगा। अधिकारी /कर्मचारी का गृह जनपद क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर निवासी है तो अन्य भरें।
15	सेवानिवृत्ति 31 मई 2022या उससे पूर्व है।
16	क्या अधिकारी /कर्मचारी पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है (Y/N)
17	अभियुक्ति (गर्भवती महिला, प्रसूति अवकाश, दिव्यांग, बी.एल.ओ ड्यूटी, गम्भीर रूप से बीमार, ड्राइवर, स्वीपर, बैंक गार्ड आदि) भरें। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसको निर्वाचन कार्य में व्यवधान समझा जायेगा)
18,19,20,21,22,23	अधिकारी/कर्मचारी का इपिक (वोटर कार्ड विवरण) भरना होगा। इपिक नम्बर क्या है किस विधान सभा क्षेत्र से इपिक जारी हुआ है उसका नम्बर एवं नाम, मतदेय स्थल (बूथ नम्बर) क्या है, वोटर लिस्ट में मतदाता क्रमांक क्या है। इपिक वर्तमान जनपद से जारी हुआ है या नहीं।
24,25,26,27	अधिकारी/कर्मचारी का बैंक खाता किस बैंक एवं किस ब्रान्च में है उसका विवरण भरे IFSC कोड के साथ भरें।

प्रपत्र 3 भरने के बाद इसका प्रिन्ट लेकर इसका मिलान मूल सूची से कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि डाटा में नहीं होनी चाहिए। डाटा फाइनल होने पर इसका प्रिन्ट लेकर इस पर फीडकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर, जांचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से डाटा का शुद्धता का प्रमाण लेकर प्रभारी अधिकारी कार्मिक को उपलब्ध करायेगे